



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 21, 2009/आश्विन 29, 1931

No. 12]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2009/ASVINA 29, 1931

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2009

का.नि.आ. 14(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 अक्टूबर, 2009 से चेन्नई स्थित सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिसूचित करती है, जिसके पास तमिलनाडू और आंध्र प्रदेश राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर अधिकारिता होगी।

[फा. सं. 7(6)/2009/डी (एफटी सेल)]

आनंद मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2009

S.R.O. 14(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Chennai with effect from 26th day of October, 2009, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the States of Tamil Nadu and Andhra Pradesh and the Union territory of Puducherry.

[F. No. 7(6)/2009/D (AFT Cell)]

ANAND MISRA, Jt. Secy.